<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

13.02.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स पीकेएस लिमिटेड और उसके निदेशक स्वप्न कुमार साहा एवं अन्य के विरुद्ध दिनांक 10.02.2026 को माननीय मुख्य न्यायाधीश, नगर सत्र न्यायालय, कोलकाता के समक्ष अभियोजन शिकायत दायर की है। इसके अतिरिक्त, ईडी ने दिनांक 05.02.2026 के अनंतिम कुर्की आदेश के माध्यम से धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत ₹2.43 करोड़ मूल्य की अचल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। इसके पूर्व, ईडी ने ₹27.88 करोड़ मूल्य की कीमती वस्तुएं जब्त की थीं और संबंधित बैंक खातों के उपयोग पर रोक (फ्रीज) लगा दिया था।

प्रवर्तन निदेशालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, बैंक सिक्योरिटी एंड फोरेंसिक (बीएस व एफसी), कोलकाता द्वारा दिनांक 23/09/2016 को दर्ज प्राथमिकी संख्या RCBSK2016E0008 और दिनांक 11/10/2018 को प्रस्तुत आरोपपत्र संख्या 03/2018 के आधार पर पीकेएस लिमिटेड, उसकी संबंधित कंपनियों और निदेशकों के विरुद्ध यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया से प्राप्त ऋणों की हेराफेरी करने के मामले में जांच आरंभ की। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि पीकेएस लिमिटेड ने ऋण राशि की हेराफेरी की और पुनर्भुगतान में चूक की, जिसके परिणामस्वरूप यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया ने दिनांक 30.06.2010 को उक्त ऋणों को गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) में वर्गीकृत किया। गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) में वर्गीकृत होने के समय ऋण राशि ₹129.75 करोड़ थी। बिना किसी व्यावसायिक कारण तथा प्रणालीगत भ्रष्टाचार के आधार पर इन राशि का विपथन सहयोगी कंपनियों में करने के कारण उक्त बैंक ने इस ऋण खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत किया।

प्रवर्तन निदेशालय की जांच से यह स्पष्ट हुआ कि मेसर्स पीकेएस लिमिटेड और उसके निदेशकों ने झूठे एवं बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत किए गए स्टॉक स्टेटमेंट और बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत किए गए निर्यात आदेशों के माध्यम से धोखाधड़ीपूर्वक निर्यात-सम्बंधित पैकिंग क्रेडिट सुविधाएं प्राप्त की। पैकिंग क्रेडिट अग्रिम राशि के रूप में काल्पनिक आपूर्तिकर्ताओं को भेजी गई और तत्पश्चात मेसर्स पीकेएस लिमिटेड के निदेशकों द्वारा इन अग्रिम राशियों को बट्टे खाते (रिटेन ऑफ) में डाल दिया गया, इस प्रकार अपराध की आय उत्पन्न हुई। आगे मेसर्स पीकेएस लिमिटेड ने वर्ष वित्तीय 2011-12 के दौरान रु. 18.90 करोड़ की राशि को बिना किसी वाणिज्यिक कारण के संबंधित समूह कंपनियों के इक्विटी शेयरों में अत्यधिक बढ़ी हुई मूल्यांकन दर पर निवेश करके अपराध की आय को वैध निवेश के रूप में प्रस्तुत किया। इस प्रकार, अवैध धनराशि को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में सम्मिलित किया गया। उक्त का विवरण निम्नलिखित है:

कंपनी का नाम	शेयर की सं	अंकित मूल्य (रु.)	प्रीमियम (रु.)	निवेशित राशि (रु.)
मेसर्स अपोलो कॉमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड	40275	10	990	4,02,75,000
मेसर्स ओरिएंट एक्स्पोर्टस प्राइवेट लिमिटेड	88000	10	990	8,80,00,000
मेसर्स क्रेसेन्ट मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड	60700	10	990	6,07,00,000
कुल				18,89,75,000

मसर्स क्रेसेन्ट मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स अपोलो कॉमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड वर्ष 2010 से संचालन बंद कर चुकी थीं, लेकिन इनके शेयर उच्च प्रीमियम पर खरीदे गए। साथ ही, वित्तीय वर्ष 2011-12 में मेसर्स ओरिएंट एक्स्पोर्टस प्राइवेट लिमिटेड के प्रत्येक शेयर का क्रय मूल्य ₹8.50/- था, जबकि स्वप्न साहा ने इसी कंपनी के शेयर वित्तीय वर्ष 2010-11 में ₹10/- प्रति शेयर की दर से खरीदे।

इस मामले में इससे पूर्व, प्रवर्तन निदेशालय ने तलाशी अभियान भी चलाया था, जिसमें अपराध संकेती सामग्री प्राप्त हुई और जब्त की गई। तलाशी के दौरान ₹12.67 करोड़ मूल्य के सोने के आभूषण आदि जैसी मूल्यवान वस्तुएं जब्त की गईं। साथ ही, मेसर्स ओरिएंट एक्स्पोर्टस प्राइवेट लिमिटेड, मसर्स क्रेसेन्ट मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स अपोलो कॉमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड के बैंक खाते पर रोक (फ्रीज) लगा दी गई है, जिनमें कुल राशि ₹15,21,87,311/- थी। इसके अतिरिक्त, मसर्स क्रेसेन्ट मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड की एक फैक्ट्री को अनंतिम रूप से कुर्क किया गया है।

आगे की जांच जारी है।